

BMF-13 ११/२ = ११ २११४ २१४१२ २१२४
Schedule XLV-Form No. 134
१२२ २ ३११२१ २१११ (Nabard)

Darbhanga-1 DIVISION

Darbhanga SUB-DIVISION

3882

MEASUREMENT BOOK

२१११५ - ११ २११२१ ३१११ ४१११

2nd year Maintenance

36

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
M/Work - Maintenance of Road					
from BMP-13, Kabis Chowk					
Village - Rampur Kasim Behat					
to Adarsh tola.					
By - Sri Rajesh Kr. Mavdal.					
Ag. No - 21-SBD/2021-22					
D/Side - 15/11/21					
Est. Compli - 16/05/22					

Measurements

(1) Restoration of Rain Cuts.
with soil, manure etc. as
per Spuitica.

$$\begin{aligned} \text{Qty} &= 1 \times 1506.0 \text{ mt} \times 2.25 \text{ mt} \times 0.30 \text{ mt} \\ &\times \frac{720}{100} \times 1.25 = 91.49 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

(2) Maint. of earthen shoulders
as per Spuitica.

$$\begin{aligned} \text{Area} &= 1 \times 1506.0 \text{ mt} \times 2.25 \text{ mt} \\ &\times \frac{12}{100} \times 1.25 = 508.28 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

(3) Maint. of H/P Culverts
= 02 Nos.

Continuation

2nd year

38

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Abstract of Cost:					
(1) Restora. of Rain-cuts					
vide Tim. B, Item-1, P-36					
= 91.49 m ³					
@ Rs- 407.70/m ³					A- 37300 =
(2) Maint. of shoulders					
vide Tim. B, Item-2, P-36 = 508.28 mt					
@ Rs- 60.58/mt					A- 30792 =
(3) Maint. of H/P Culverts					
vide Item-3, P-36 = 02 Nos					
@ Rs- 1182.79/ea					A- 2366 =
(4) Maint. of Slab Culverts					
vide Item-4, P-36 = 02 Nos					
@ Rs- 2426.45/ea					A- 4853 =
(5) Maint. of Road Signs					
vide Item-5, P-37 = 1.506 km.					
@ Rs- 1117.64/km					A- 1683 =
(6) Maint. of K.m. Stones					
vide Item-6, P-37 = 1.506 km.					
@ Rs- 626.24/km					A- 943 =
(7) White-Washing of Panabets					
vide Item-7, P-37 = 41.60 m ²					
Tim. B @ Rs- 17.14/m ²					A- 713 =
Total A-					78650 = 00
Add- 12-1. 6.55 =					9438 =
1-1. 43 =					787 =
S/Fee =					504 =

Total A- 89379 = 00

Continuation

✓ Sayenice

(2)	1	S/Free
-----	---	--------

ii) Adjust standard = $0.10 \times 508.28 \text{ mL} @ 1 - 5.22 = 265 =$

~~156124~~
85

**बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग**

पत्रांक-मु0 अ0-4 (मु0)-नाबार्ड-03-211/2018

1796

/पटना, दिनांक-30/5/18

प्रेषक,

संजय कुमार, मा0प्र0से0

अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

बिहार, पटना।

विषय:- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के दरभंगा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1 के अधीन दरभंगा सदर प्रखंड के बी0एम0पी0-13 के सामने कबीर चक के ग्राम रामपुर कासिम, बेहट से आदर्श टोला तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 1.506 कि0मी0 निर्माण हेतु रू0 97.45 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रू0 12.97 लाख अर्थात् कुल 110.42 लाख रुपये (एक करोड़ दस लाख ब्यालीस हजार रुपये) की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उप शीर्ष के अन्तर्गत राज्य दरभंगा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1 के अधीन दरभंगा सदर प्रखंड के बी0एम0पी0-13 के सामने कबीर चक के ग्राम रामपुर कासिम, बेहट से आदर्श टोला तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 1.506 कि0मी0 निर्माण हेतु रू0 97.45 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रू0 12.97 लाख अर्थात् कुल 110.42 लाख रुपये (एक करोड़ दस लाख ब्यालीस हजार रुपये) की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1 द्वारा इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड 37-4515001030105 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 459.31 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1 द्वारा योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से कमशः अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, दरभंगा एवं मुख्य अभियंता-3, के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाये।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1 यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।

8. इस योजना का चयन मा0 मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, द्वारा संचिका संख्या- मु0 अ0-4 (मु0)-नाबार्ड-03-211/2018 के पृ0सं0-02/टि0 पर दिनांक 08.05.2018 को किया गया है।
9. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं0- मु0 अ0-4 (मु0) नाबार्ड-03-211/2018 के पृ0 सं0-04/टि0 पर दिनांक-14.05.2018 को प्राप्त है।
10. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाय।
11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-4-45/94-301 वि (2) दिनांक 31.01.1995 एवं वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)-11-2005-5090 वि (2) दिनांक 15.09.05 एवं 295 दिनांक 24.03.15 के आलोक में तथा वित्त विभाग के संकल्प सं0 96 दिनांक 03.01.2008 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय। यह आदेश आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति संचिका सं0- मु0 अ0-4 (मु0) नाबार्ड-03-211/2018 के पृष्ठ संख्या- 8/टि0 पर दिनांक- 24.5.18 को प्राप्त है।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य में नहीं।
13. योजना के लिए कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1 से विस्तृत कार्य योजना मांगी जायेगी एवं प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
14. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अंतराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जाय।
15. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि नाबार्ड से RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विश्वनाथ झा

28/5/18

(संजय कुमार)

अपर सचिव

ज्ञापांक- मु0 अ0-4 (मु0)-नाबार्ड-03-211/2018 1796

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/पटना, दिनांक-30/5/18

28/5/18

अपर सचिव

ज्ञापांक मु0 अ0-4 (मु0)-नाबार्ड-03-211/2018 1796

/पटना, दिनांक-30/5/18

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/उप विकास आयुक्त, दरभंगा/अभियंता प्रमुख सह-सचिव, BRRDA, ग्रा0 का0 वि0, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता-3, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु0 अ0-4 (मुख्यालय), ग्रा0 का0 वि0/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या कम्पलेक्स, पॉंचवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/5/18

अपर सचिव